आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –331/2023

जितेन्द्र सिंह

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, सवालिया प्रसाद सिंह प्रतिवादी संख्या 01 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–57/2020 में दिनांक– 19.06.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनियापुर, सारण द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पुनरीक्षणकर्ता श्री जितेन्द्र सिंह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति संख्या 21/2016 ग्राम पंचायत राज पैगम्बरपुर, ग्राम– तवाकाल टोला (पिथौरी), थाना– बनियापुर, जिला– सारण के दुकान की जाँच की गई। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत निम्नलिखित अनियमितताएँ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा को प्रतिवेदित की गई :– (i) विक्रेता के द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खाद्यान्न उठाव करने के उपरांत आज 02.12.2019 तक वितरण नहीं किया गया है। (ii) विक्रेता के द्वारा लाभुकों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, दो दिन देर होने के बाद राशन देने में कोताहीं बरतते हैं एवं अपशब्द बोलते हैं। (iii) विक्रेता द्वारा कम अनाज दिया जाता है एवं ज्यादा पैसा वसूला जाता है। (iv) विक्रेता द्वारा आधार संग्रहण के लिए दूसरे व्यक्ति को रखा गया है जो कि लाभुकों से पैसा मांगता है।	

Web Copy, Not Official

उपरोक्त अनियमितताओं के बिन्दु पर पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 80 दिनांक 24.01.2020 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 03.02.2020 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1302 दिनांक 02.03.2020 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 21/ 2016 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा के न्यायालय में वाद सं0–57/2020 दायर किया गया। जिसकी विधिवत् सुनवाई के पश्चात् समाहर्त्ता, सारण द्वारा दिनांक 19.06.2023 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता, सारण के आदेश से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार :–

(i) दिनांक 19.11.2019 को खाद्यान्न उठाव करने के उपरांत दिनांक 02.12.2019 तक वितरण नहीं करने के अवधि में पुनरीक्षणकर्ता बीमार थे, जिसकी सूचना पंचायत स्तर पर निगरानी समिति एवं संबंधित मुखिया को दिए थे। बिमारी से ठीक होने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण दाखिल करने के पहले उठाव किए गए खाद्यान्न का वितरण निगरानी समिति एवं मुखिया के निगरानी में कराया गया। विक्रेता द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र की प्रति भी स्पष्टीकरण के माध्यम से समर्पित किया गया है।

(ii) जाँच के दिन भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं पायी गयी थी।

(iii) जहाँ तक लाभुक से अभद्र व्यवहार करने, राशन देने में कोताहीं बरतने एवं अपशब्द बोलने की बात है तो पुनरीक्षणकर्ता का व्यवहार अपने उपभोक्ताओं के प्रति उत्तम है तथा पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध इस तरह की शिकायत से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(iv) पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा कम

Web Copy Not Official

अनाज देने एवं अधिक पैसा लेने का आरोप लिखित एवं मौखिक रूप से नहीं लगाया गया है।

(v) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कभी भी आधार संग्रहण कार्य एवं पैसे वसूली के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा गया था।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, सदर, छपरा के परिवाद सं0– 999960126101948414 एवं 8415 में 18 उपभोक्ताओं का बयान लिया गया। बयान में उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेता के विरूद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 1302 दिनांक 02.03.2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा साक्ष्य के रूप में कैशमेमों/ PHH तथा अंत्योदय की भंडार पंजी एवं वितरण पंजी या कोई भी अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाता है, जो अनियमितता का द्योतक है। बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के मार्गदर्शिका के विपरीत आचरण किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किया जाना उचित है।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालीय आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनियापुर, सारण द्वारा विक्रेता के दुकान के जाँच के क्रम में प्रतिवेदित अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सारण, के न्यायालय में वाद सं0–57/2020 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 19.06.2023 को मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/ वैधानिक त्रुटि

Web Copy Not Official

परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर खाद्यान्न का उठाव कर वितरण नहीं करने लाभुकों से अभद्र व्यवहार करने, कम अनाज देने, ज्यादा पैसा लेने एवं आधार संग्रहण के लिए दूसरे व्यक्ति को रखे जाने तथा उसके द्वारा पैसे की मांग किए जाने का प्रमाणित आरोप है।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i) एवं (iv) में अंकित है कि:–

(i)''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''

(iv)''अनुज्ञप्तिधारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित्त खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय करेगा।''

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अभिवक्ता ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 19.11.2019 खाद्यान्न उठाव करने के उपरांत दिनांक 02.12.2019 तक वितरण नहीं करने के अवधि में पुनरीक्षणकर्त्ता बीमार रहे थे। इस संबंध में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14 (xii) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूची–09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकान के कारोबार में सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते हैं।''*** उक्त प्रावधान भी इसलिए बनाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी जनवितरण प्रणाली केन्द्र के सुगम संचालन हेतु अपना प्रतिनिधि रख सकते हैं ताकि ऐसी स्थिति में भी अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार की समस्या न हो एवं जन वितरण प्रणाली के दुकान का नियमित संचालन के साथ ससमय खाद्यान्न का वितरण हो सकें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी राशनकार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों को विहित् खुदरा मूल्य पर

Web Copy/Not Official

उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का उठाव कर वितरण ससमय किया जाना है। जिसका अनुपालन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं किया गया है।

इस प्रकार खाद्यान्न का उठाव कर वितरण नहीं करने लाभुकों से अभद्र व्यवहार करने, कम अनाज देने एवं ज्यादा पैसा लेने एवं आधार संग्रहण के लिए दूसरे व्यक्ति को रखे जाने तथा उसके द्वारा पैसे की मांग किए जाने जैसा कृत्य बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14 (i), (iv), (xii) के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता को अपना पक्ष रखने का समूचित मौका देने के बाद मुखर आदेश पारित किया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

Web Copy - Not Official